राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1379 दिनांक : 27.10.2022

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

प्रार्थी	विप्रार्थीगण
1. भंवरसिंह पुत्र बगतसिंह वगैरा 06, जाति राजपुत, निवासी मलवा पातावतान, पटवार मण्डल खारापार, तहसील गिड़ा (बाड़मेर)	1. सताराम पुत्र दुर्गाराम वगैरा 26, जाति जाट, निवासी मलवा पातावतान, पटवार मण्डल खारापार, तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 255 / 2021

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा – मलवा पातावतान, पटवार मण्डल – खारापार, तहसील – गिड़ा, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 90 / 26, 91 / 26, 92 / 26, 93 / 26, 23, 25 रकबा क्रमशः 29.8172, 29.8172, 32.3748, 0.0324, 0.1295 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 /– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 1380-1384 दिनांक : 27.10.2022

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का खारापार को भेजकर लेख है कि निर्धारित [illegible] को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री भंवरसिंह पुत्र बगतसिंह वगैरा 06,
4. विप्रार्थी श्री सताराम पुत्र दुर्गाराम वगैरा 26,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु / गिड़ा / नागाणा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2022.12.21 17:35:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर
उपखण्ड अधिकारी बायतु